राधे श्याम गर्ग
महाप्रबंधक (विधि)
Radhey Shyam Garg
General Manager (Law)

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

No. NHB/ LD/3714/2004
August 20, 2004

Shri M.Subramani,
Sr. Research Officer (CP),
Ministry of Finance & Company Affairs,
Department of Economic Affairs,
(Banking Division),
3rd Floor, Jeevan Deep Building,
Sansad Marg,
NEW DELHI – 110 001.

Dear Sir,

Re: NHB (Nomination) Regulations, 2004

We forward herewith ten (10) copies of the National Housing Bank (Nomination) Regulations, 2004 for being laid in each house of the Parliament as required under Section 55(5) of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and request you to do the needful at your earliest.

Thanking you,

Yours faithfully,

(R.S.Garg)

Encl. As Above.

भारतीय रिजर्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में
कोर 5-ए, चतुर्थ तल, इंडिया हैबीटैट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003
दूरभाष : पी बी एक्स - 464 9031-35 फैक्स : 011-464 6988, 464 9041
सीधा : 464 9043
तार : निवास बैंक
Wholly owned by Reserve Bank of India
Core 5-A, 4th Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi -110003
Phone : PBX 464 9031-35 Fax : 011-464 6988, 464 9041
Direct : 464 9043
Gram : NIWAS Bank

"बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है"

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 136] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 4, 2004/श्रावण 13, 1926
No. 136] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 4, 2004/SRAVANA 13, 1926

राष्ट्रीय आवास बैंक

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2004

सं. एनएचबी/एलडी/आरईएस-407.—राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 47ए के साथ पठनीय धारा 55 की उप-धारा (2) के खंड (जेए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आवास बैंक का निदेशक मंडल भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व संस्वीकृति और केन्द्र सरकार के परामर्श से, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, अर्थात् :—

(1) **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ** - (1) इन विनियमों को राष्ट्रीय आवास बैंक (नामांकन) विनियमावली, 2004 कहा जाएगा ।

(2) वे सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. **परिभाषाएं** - इन विनियमों में, यदि इस संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "अधिनियम" का अर्थ राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) है ।

(ख) "बंधपत्र" का अर्थ इस अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी और बेचे बंधपत्र या डिबेंचर है ।

(ग) "निक्षेप" का अर्थ इस अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के अनुसरण में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा स्वीकार की गई जमा राशि है ।

(घ) "जमा रसीद" का अर्थ कोई जमा राशि स्वीकार करने पर राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी रसीद है और जिसमें जमा प्रमाण-पत्र भी शामिल हैं ।

(ङ) "धारक" का अर्थ किसी जमा राशि के बारे में जमाकर्ता या बंधपत्र या प्रतिभूति का धारक है ।

(च) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों जिनकी परिभाषा नहीं दी गई है किन्तु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, का अर्थ अधिनियम में उन्हें क्रमशः निर्धारित अर्थ होगा ।

3. **बंधपत्रों या निक्षेपों के संबंध में नामांकन** - (1) धारक द्वारा किए गए नामांकन या जो भी मामला हो, सभी धारक संयुक्त रूप से, को राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा इन विनियमों में उल्लिखित परिस्थितियों और निर्दिष्ट सीमा तक मान्यता दी जाएगी ।

(2) एक मात्र धारक या संयुक्त रूप से सभी धारकगण या उत्तरजीवी धारक या धारकगण व्यक्ति(यों) नहीं होने से -

(i) किसी कार्यालय के धारक के रूप में बंधपत्र या निक्षेप रखना, या

(ii) किसी न्यास के लिए कृत्य करना, या

(iii) बंधपत्र या निक्षेप में किसी लाभकारी हित सहित किसी व्यक्ति के लिए किसी अन्य हैसियत से कृत्य करना,

एक या अधिक व्यक्ति(यों) जो एक अवयस्क सहित चार से अधिक न हो, को नामित कर सकते हैं, जो उसकी या उनकी मृत्यु की स्थिति में बंधपत्र या निक्षेप के संबंध में राष्ट्रीय आवास बैंक की ओर से संदेय राशियों के लिए हकदार हों,

किन्तु यह, तब, जबकि - जहां नामिती एक अवयस्क होता है, वहां धारक(कों) का नामांकन करते समय नामिती की अवयस्कता के दौरान धारक(कों) की मृत्यु की स्थिति में, बंधपत्र या निक्षेप के संबंध में देय राशियों को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को भी नियुक्त करेगा ।

स्पष्टीकरण - नामांकन केन्द्र या राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, किसी धार्मिक या धर्मार्थ न्यास या अपने कार्यालय के कारण से अभिहित किसी व्यक्ति के पक्ष में भी किया जा सकता है ।

4. **नामांकन का प्रतिस्थापन या निरसन** - (1) विनियमन (3) के उप विनियम (2) के अधीन किया गया कोई नामांकन बाद में प्रतिस्थापित या निरस्त किया जा सकता है ।

(2) प्रत्येक नामांकन, नामांकन का प्रतिस्थापन, या नामांकन का निरसन राष्ट्रीय आवास बैंक को इस प्रकार, जैसाकि राष्ट्रीय आवास बैंक की ओर से विनिर्दिष्ट किया जाए, से किया जाएगा और उसके साथ सुसंगत बंधपत्र या निक्षेप की रसीद होगी ।

(3) किसी विधिमान्य नामांकन, नामांकन के प्रति-स्थापन या नामांकन के निरसन की रसीद की पावती राष्ट्रीय आवास बैंक की ओर से संबंधित बंधपत्र धारक या निक्षेपकर्ता को लिखित में दी जाएगी । नामांकन, नामांकन का प्रतिस्थापन या नामांकन का निरसन राष्ट्रीय आवास बैंक की ओर से ऐसी पावती की तारीख से प्रभावी होना माना जाएगा । राष्ट्रीय आवास बैंक नामांकन, नामांकन के प्रतिस्थापन या नामांकन के निरसन के बारे में एक उपयुक्त पृष्ठांकन बंधपत्र या निक्षेप की रसीद पर भी कर सकता है ।

(4) नामांकन का प्रतिस्थापन, या नामांकन का निरसन एक से अधिक बंधपत्र धारक या निक्षेपकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से धारित किसी बंधपत्र या निक्षेप के मामले में तब तक विधिमान्य होगा, जब तक कि ऐसा प्रतिस्थापन या निरसन सभी उत्तरजीवी बंधपत्र धारकों या निक्षेपकर्ताओं की ओर से नहीं किया जाता है ।

5.नए बंधपत्र या निक्षेप की रसीद जारी करने के कारण अप्रभावित नामांकन - इन विनियमों के अधीन किया गया नामांकन किसी विद्यमान के स्थान पर एक नए बंधपत्र या निक्षेप की रसीद जारी की जाने से प्रभावित नहीं होगा ।

6.राशि प्राप्त करने का नामिती का अधिकार -

(1) जहां नामांकन एक से अधिक व्यक्ति के पक्ष में है, प्रथम नाम वाला नाम वाला नामिती या बंधपत्र धारक या निक्षेपकर्ता की मृत्यु की स्थिति में बंधपत्र या निक्षेप के संबंध में देय राशि प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(2) जहां प्रथम नाम वाले नामिती की यथा स्थिति, बंधपत्र धारक या निक्षेपकर्ता से पूर्व मृत्यु हो गई है, और बंधपत्र धारक या निक्षेपकर्ता ने नामांकन निरस्त नहीं किया है या नामांकन प्रतिस्थापित नहीं किया है, वहां दूसरे स्थान पर नाम वाला नामिती किसी उत्तराधिकारी की मृत्यु पर उसी प्रकार से बंधपत्र या निक्षेप के संबंध में राशि प्राप्त करने का हकदार होगा और इसी प्रकार अगले स्थान पर नाम वाला नामिती बंधपत्र या निक्षेप के संबंध में राशि प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(3)इन विनियमों के अधीन किया गया नामांकन बंधपत्र धारक या निक्षेपकर्ता की जीवन अवधि में एक मात्र नामिती की मृत्यु पर समाप्त हो जाएगा ।

7.नामांकन का मानित निरसन - किसी बंधपत्र के संबंध में नामांकन को बंधपत्र द्वारा उसके अंतरण की या राष्ट्रीय आवास बैंक की ओर से उसके मोचन की तारीख से निरस्त हो गया तब तक नहीं माना जाएगा, जब तक कि अंतरण के मामले में, अंतरिती राष्ट्रीय आवास बैंक को लिखित में यह सूचित नहीं करता है कि उसे ऐसे बंधपत्र को अपने नाम में अंतरित कराने की इच्छा नहीं करता है ।

8.नामिती को भुगतान करने पर उन्मोचन - किसी बंधपत्र या निक्षेप, जिससे नामांकन संबंध रखता है, के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार, नामिती को राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया गया कोई भुगतान राष्ट्रीय आवास बैंक को उन बंधपत्रों या निक्षेप के बारे में उसकी देयता से राष्ट्रीय आवास को पूर्ण उन्मोचित करेगा ।

किन्तु यह तब, जबकि, इस विनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात से दावे का ऐसा अधिकार प्रभावित नहीं होगा जिसे कोई व्यक्ति उस नामिती, जिसको इन विनियमों के अधीन कोई भुगतान किया जाता है, के विरुद्ध कर सकता है ।

वी. श्रीधर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

[विज्ञापन-3/4/असाधारण/157/04]

NATIONAL HOUSING BANK

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2004

No. NHB/LD/Res.-407.—In exercise of the powers conferred by clause (ja) of Sub-section (2) of Section 55 read with section 47A of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987), the Board of Directors of the National Housing Bank with the previous approval of the Reserve Bank of India and in consultation with the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement. – (1) These regulations may be called the National Housing Bank (Nomination) Regulations, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. – In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "the Act" means the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987);

(b) "bond" means the bond or debenture issued and sold by the National Housing Bank pursuant to clause (a) of sub-section (1) of section 15 of the Act;

(c) "deposit" means the deposit of money accepted by the National Housing Bank pursuant to clause (c) of sub-section (1) of section 15 of the Act;

(d) "deposit receipt" means the receipt issued by the National Housing Bank in receipt of any deposit and includes a certificate of deposit;

(e) "holder" means the holder of a bond or security or depositor in respect of a deposit;

(f) words and expression used and not defined in these regulations but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Nomination in respect of bonds or deposits. – (1) A nomination made by a holder or as the case may be, all the holders jointly, shall be recognised by the National Housing Bank in the circumstances and to the extent specified in these regulations.

(2) A sole holder or all the holders jointly or the surviving holder or holders not being person(s):-

(i) holding the bond or deposit as holder of an office; or -

(ii) acting for a trust; or

(iii) acting in any other capacity for any other person with a beneficial interest in the bond or deposit,

may nominate one or more persons not exceeding four including a minor, who shall in the event of his or their death be entitled to the amounts payable by the National Housing Bank in respect of the bond or deposit :

Provided that where the nominee is a minor, the holder(s) shall at the time of making the nomination also appoint any person to receive the amounts due in respect of the bond or deposit in the event of death of the holder(s) during the minority of the nominee.

Explanation.- Nomination may also be made in favour of Central or State Government, a local authority, a religious or charitable trust or any person designated by virtue of his office.

4. **Substitution or cancellation of nomination.** – (1) A nomination made under sub-regulation (2) of regulation 3 may subsequently be substituted or cancelled.

(2) Every nomination, substitution of nomination or cancellation of nomination shall be made to the National Housing Bank in such form as may be specified by the National Housing Bank and shall be accompanied with the relevant bond or deposit receipt.

(3) Receipt of a valid nomination, substitution of nomination or cancellation of nomination shall be acknowledged in writing to the concerned bondholder or depositor by the National Housing Bank. The nomination, substitution of nomination or cancellation of nomination shall be deemed to be effective from the date of such acknowledgement by the National Housing Bank. The National Housing Bank may also make a suitable endorsement about the nomination, substitution of nomination or cancellation of nomination on the bond or deposit receipt.

(4) The substitution of nomination or cancellation of nomination shall not be valid in the case of a bond or deposit held jointly by more than one bondholder or depositor unless such substitution or cancellation is made by all the surviving bondholder(s) or depositor(s).

5. **Nomination not affected due to issue of a new bond or deposit receipt.** – The nomination made under these regulations shall not be affected by the issue of a new bond or deposit receipt in lieu of the existing one.

6. **Nominee's right to receive the amount.** – (1) Where the nomination is in favour of more than one person, the nominee first named alone shall be entitled to receive the amount due in respect of the bond or deposit, in the event of the death of the bondholder (s) or depositor (s).

(2) Wherever the nominee first named has pre-deceased the bondholder or the depositor, as the case may be, and the bondholder or depositor has not cancelled the nomination or substituted the nomination, the nominee second named shall be entitled to receive the amount in respect of the bond or deposit and in the same manner on death of a successive nominee the nominee next named shall be entitled to receive the amount in respect of the bond or deposit..

(3) Nomination made under these regulations shall cease to be in force on the death of the sole nominee during the lifetime of the bond holder or the depositor.

7. **Deemed cancellation of nomination.** – The nomination in respect of a bond shall be deemed to have been cancelled from the date of its transfer by the holder or its redemption by the National Housing Bank unless the transferee, in the case of transfer, advises the National Housing Bank in writing that he does not desire such bond to be transferred to his name.

8. Discharge on payment to the nominee. – Any payment made by the National Housing Bank to the nominee in accordance with the provisions of these regulations in respect of a bond or deposit to which the nomination relates shall be a full discharge to the National Housing Bank of its liability in respect of such bond or deposit:

Provided that nothing contained in this regulation shall affect the right of claim which any person may have against the nominee to whom any payment is made under these regulations.

V. SRIDAR, Chairman & Managing Director
[ADVT. -3/4/Exty./157/04]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.